प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

12 फरवरी 2025

पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अप्रैल 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (जिसे आगे 'बैंक' कहा जाएगा) पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। बैंक को निम्नलिखित कार्य को रोकने हेतु निर्देश दिया गया था:

(i) अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को शामिल करना, और
(ii) नए क्रेडिट कार्ड जारी करना।

इसके बाद, बैंक ने पर्यवेक्षी समस्याओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए और रिज़र्व बैंक को इसका अनुपालन प्रस्तुत किया। बैंक ने अनुपालन की पुष्टि करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से एक बाह्य लेखा-परीक्षा भी आरंभ किया। अब, बैंक की प्रस्तुतियों और किए गए सुधारात्मक उपायों से संतुष्ट होकर, रिज़र्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए उपर्युक्त प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बैंक को विस्तृत सूचना जारी कर दी गई है।

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2139